

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 35/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/48

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. देवीसिंह पुत्र मोहन  
2. सवाई सिंह पुत्र मोहन  
जाति. पुरोहित निवासी विटुजा  
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

1. गोरखा पुत्र चेलाराम  
2. शंकर पुत्र चेलाराम जाति पुरोहित  
3. मदरूपाराम पुत्र नैनाराम  
4. रूपाराम पुत्र नैनाराम जाति चौधरी  
5. वंगताराम पुत्र नैनाराम  
6. प्रभुराम पुत्र जवानाराम  
7. भूराराम पुत्र गुणेशाराम जाति चौधरी  
8. वंगताराम पुत्र नैनाराम जाति चौधरी  
9. मिसराराम पुत्र चेलाराम जाति पुरोहित  
निवासी विटुजा तहसील पचपदरा  
10. राजस्थान राज्य जरीए तहसीलदार  
पचपदरा


राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1. श्री भूपेन्द्र गंहलोट अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. विप्रार्थी एकपक्षीय

आदेश



दिनांक 21/4/2025

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम विटुजा पटवार हल्का विटुजा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1536/326 क्षेत्रफल 2.8935 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढा विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदांजी की जाती है और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम विटुजा पटवार हल्का विटुजा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1536/326 क्षेत्रफल 2.8935 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बिटुजा पटवार हल्का बिटुजा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1536/326 क्षेत्रफल 2.8935 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगडालू प्रवृत्ति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बिटुजा पटवार हल्का बिटुजा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1536/326 क्षेत्रफल 2.8935 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश किया जावे।

4. हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम बिटुजा पटवार हल्का बिटुजा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1536/326 क्षेत्रफल 2.8935 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्ड्ड खातेदार है, और रिकार्ड्ड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबन्दी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते



सके अनुसार - धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 128 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे।  
परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे।

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 06.1.2025 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराज्जी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद

उपसचिव अधिकारी  
(S.D.O.) बलौतस


मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटारा जाना है, अतः हरतगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

6. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—:आदेश:—


अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बिटुजा पटवार हल्का बिटुजा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1536/326 क्षेत्रफल 2.8935 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिह्निकरण करते हुए विधिसुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है।



  
(अशोक कुमार)

उपखण्ड अधिकारी  
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 21/4/2025 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
बालोतरा 21/04/2025